

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 01-03-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड-20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹7,19,54,700/- (सात करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार सात सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-18(7)ब दिनांक-14.06.18, 49(7)ब दिनांक-11.10.18, 64(7)ब दिनांक-05.12.18 एवं 89(7)ब दिनांक-11.02.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹7,19,54,700/- (सात करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार सात सौ रुपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड- 20-2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 98(7)0

पटना, दिनांक : 01-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव


विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन (विपत्र कोड-20-221003110001)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13-01)	वर्दी/पोषाक (13-06)	सामग्री एवं पुस्तिकाएँ (21-01)	दवा भंडार (21-02)	आहार/पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भोजपुर	350000	105000	525000	280000	70000	1330000	0	0	3000000	8000000	0	1200000	500000	1065000	15095000	207/16.1.19
2	रोहतास	320000	96000	480000	256000	64000	1216000	0	0	0	0	0	300000	295000	0	1811000	2828/1.12.18
3	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	4000000	2000000	0	0	100000	6300000	121/22.1.19
4	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	4000000	0	0	0	100000	4600000	108/19.1.19
5	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1500000	1500000	0	0	100000	4100000	42/5.1.19, 70/8.1.19
6	दरभंगा	350000	87500	840000	630000	52500	1960000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	2960000	2552/26.12.18
7	सारण	350000	87500	850000	600000	50000	1937500	0	0	0	0	0	1750000	500000	0	4187500	95/8.1.19
8	समस्तीपुर	350000	87500	560000	280000	70000	1347500	0	0	200000	75000	0	0	0	0	1622500	2656/22.12.18
9	जहानाबाद	350000	87500	560000	280000	70000	1347500	52000	52000	100000	4000000	500000	500000	0	100000	6651500	2577/13.12.18
10	नवादा	320000	50200	480000	256000	64000	1170200	0	0	0	0	0	0	0	0	1170200	245/29.1.19
11	जमुई	350000	70000	525000	280000	70000	1295000	0	0	0	0	0	0	0	0	1295000	56/10.1.19, 2249/15.12.18
12	क्रिशनगंज	140000	62000	281100	304400	27500	815000	30000	70000	0	0	0	800000	0	0	1715000	2719/8.12.18
13	बेतिया	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	500000	1000000	0	1000000	3500000	2190/11.12.18
14	लखीसराय	320000	64000	480000	256000	64000	1184000	20000	0	0	0	0	0	0	0	1204000	240/14.2.19
15	वैशाली	350000	70000	525000	280000	70000	1295000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	2295000	2367/11.12.18
16	खगड़िया	320000	64000	480000	256000	64000	1184000	14000	15000	0	1575000	200000	1000000	0	0	3988000	2993/11.12.18
17	भोतिहारी	350000	70000	525000	280000	70000	1295000	50000	0	0	0	0	1325000	0	0	2670000	2723/18.12.18
18	औरंगाबाद	350000	70000	525000	280000	70000	1295000	50000	50000	100000	500000	2000000	0	0	0	3995000	4/1.1.19
19	भागलपुर	350000	70000	525000	280000	70000	1295000	0	0	500000	500000	500000	0	0	0	2795000	128/11.1.19
	कुल	4920000	1141200	8161100	4798400	946000	19966700	216000	187000	6600000	24150000	7200000	9875000	1295000	2465000	71954700	

(सात करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार सात सौ) ₹० मात्र

98(7)A
01-03-19


सरकार के विशेष सचिव

उपबध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	540000000	535080000	4920000	540000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	60000000	58858800	1141200	60000000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	88420000	80258900	8161100	88420000	0
4	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	15500000	10701600	4798400	15500000	0
5	अन्य भत्ता (0001-01-07)	27700000	26754000	946000	27700000	0
6	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	732620000	711653300	19966700	731620000	1000000
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	433959	0	433959	566041
7	यात्रा व्यय (0001-11-01)	200000	200000	0	200000	0
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	750000	534000	216000	750000	0
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1000000	496000	0	496000	504000
10	दूरभाष (0001-13-03)	3000000	1485000	0	1485000	1515000
11	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	12000000	12000000	0	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	1000000	520000	0	520000	480000
13	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	593000	406000	187000	593000	0
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	11212000	0	0	0	11212000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	29800000	16820000	6600000	23420000	6380000
16	दवा भंडार (0001-21-02)	150000000	125850000	24150000	150000000	0
17	आहार / पथ्य (0001-21-03)	40000000	19910000	7200000	27110000	12890000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	100000000	90125000	9875000	100000000	0
20	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (0001-28-02)	100000000	98705000	1295000	100000000	0
20	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	10000000	7535000	2465000	10000000	0
	कुल योग:-	1193176000	1086673259	71954700	1158627959	34548041

98(7)A
01-03-19

सरकार के विशेष सचिव